

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

संख्या-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-07/2017,सा.प्र.15163/पटना-15, दिनांक-8.11.19
बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उपधारा-1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003" (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-(1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. "बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003" (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9(1)(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"9(1)(1) - बजट आवंटन के भीतर मोटरगाड़ी को छोड़कर कम्प्यूटर क्रय एवं कार्यालय प्रशासन व्यय को मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी।

परन्तु, परीक्षा संचालन के लिए क्रय, संविदा एवं अन्य विभागीय क्रय करने, संविदा निष्पादित करने और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक व्यय के लिए अध्यक्ष को बिहार वित्त नियमावली के नियम-110(2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(शिवमहादेव प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

संख्या-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-07/2017,सा.प्र.15163/पटना-15, दिनांक-8.11.19


प्रतिलिपि-वित्त विभाग, ई.-गजट शाखा को सी.डी. सहित राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु.- सी.डी.।


सरकार के अवर सचिव।


संख्या-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-07/2017,सा.प्र.15163/पटना-15, दिनांक-8.11.19

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी प्रशाखा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को/आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

संख्या-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-07/2017,सा.प्र. /पटना-15, दिनांक-.....


प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या-21/एस.एस.सी.(नियमावली)-07/2017,सा.प्र.15164/पटना-15, दिनांक-8.11.19
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 15163 दिनांक 8.11.19 का
निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा
जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

Patna, Dated.....

No.-21/S.S.C.(Rules)-07/2017, GAD 15164 /Patna-15, Dated 8.11.19 In exercise of the powers
conferred by the Sub-Section (1) of Section-12 of the Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (Bihar
Act 7, 2002), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment in the Bihar Staff
Selection Commission Rules, 2003 (as amended from time to time) :-

1. Short title, extent and commencement:- (1) These rules may be called "Bihar Staff
Selection Commission (Amendment) Rules, 2019".

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come in to force from the date of its publication in the official Gazette.

2. Rule-9(1)(1) of "Bihar Staff Selection Commission Rules, 2003" (as amended from time
to time) shall be substituted by the following:-

"9(1)(1) - Within the budget allocation, the Commission shall have the full power to
purchase computer and other expenditure for office administration except purchase of motor vehicle.

Provided that, the Commission shall have the power to departmental purchase, execute
contract and to sanction any other expenditure of office administration for conducting examinations. For
the contingent expenses the Chairman shall have the power under rule-110(2) of Bihar Financial Rules."

By the order of the Governor of Bihar,



(Shivmahadev Prasad)

Under Secretary to Government

No.- 21/S.S.C.(Rules)-07/2017, GAD 15164 /Patna-15, Dated 8.11.19

Copy forwarded to Finance Department, E-Gazette Section (with CD) with the request for
the publication of this in extra-ordinary issue of Bihar Gazette.

Enclosed: C.D.


Under Secretary to Government

No.- 21/S.S.C.(Rules)-07/2017, GAD...../Patna-15, Dated.....


Copy forwarded to AG, Bihar, Patna/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Patna/
Secretary, Bihar Technical Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Public Service Commission,
Patna/All Sections, General Administration Department, Bihar, Patna/IT Manager, General Administration
Department, Bihar, Patna for uploading the notification on official website.


07.11.19

Under Secretary to Government

No.- 21/S.S.C.(Rules)-07/2017, GAD...../Patna-15, Dated.....

Copy forwarded to Treasury Officer, Secretariat Treasury, Sinchai Bhawan, Patna for
information and necessary action.


07.11.19

Under Secretary to Government